महत्वपूर्ण

संख्या:60/2023/1011/2451528/2023/12-2099/177/2022

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 27 जुलाई, 2023

विषय: राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित "उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम" के अन्तर्गत "मिलेट्स (श्री अन्न) रेसीपी एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम" एवं "स्कूल कैरीकुलम के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षण" के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या: 7/2023/12-2-2023-4/2022, दिनांक 01 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष 2023 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादन एवं उपयोग में वृद्धि के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2023 के अनुपालन में प्रदेश में मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मिलेट्स के नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण के जनपदवार लक्ष्य निर्गत किए गए हैं, जिसके सापेक्ष बीज की आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। बीज उत्पादन के कार्य हेतु सीड मनी उपलब्ध कराने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों के चयन के दिशा-निर्देश जनपदों को निर्गत करने के साथ ही आवेदन हेतु समस्त समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। साथ ही मिलेट्स आधारित प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन की गतिविधियों के जनपदवार लक्ष्य भी निर्गत किए गए हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में वर्ष 2023-24 में मिलेट्स की कार्य योजना पर अनुमोदन प्रदान किए जाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जनपद स्तर पर मिलेट्स रेसीपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम तथा स्कूल कैरीकुलम के माध्यम से अध्यापकों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारी के दिशा-निर्देश में निम्नानुसार सम्पादित किया जाए एवं उक्त कार्यक्रमों पर आने वाले व्यय को कृषि विभाग की "उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम" के अन्तर्गत आवंटित बजट से वहन किया जाएगा।

4. निम्नलिखित कार्यक्रम जिलाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जन सहभागिता के साथ क्रियान्वित कराए जाएंगे।

(i) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।

(ii) पर्यटन विभाग/होटल एवं रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन के माध्यम से मिलेट्स रेसीपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मिलेट्स के विभिन्न उत्पादों को तैयार करने वाले शेफ के मध्य तथा मिलेट्स के गुणों के बारे में जानकारी रखने वालों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम का आयोजन भी कराया जाए।

(iii) रेसीपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम जनपदों द्वारा इस प्रकार आयोजित कराया जाए जिसमें जनपद के प्रत्येक विकास खण्डों, नगर निकायों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में जनपद के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाएगी।

(iv) मिलेट्स के Value Added Products / Preessed Products पर मेले आयोजित कराये जायें, जिसमें मिलेट्स उत्पादक एफ0पी0ओ0 और मिलेट्स आधारित खाद्य पदार्थ उत्पादक एफ0पी0ओ0 को आमंत्रित किया जाए।

5. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्कूल कैरीकुलम के माध्यम से अध्यापकों का निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए:-

(i) इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्र-छात्राओं के माध्यम से उनके अभिभावकों को मिलेट्स के सम्बन्ध में जागरूक किया जाना होगा।

(ii) मिलेट्स के लाभकारी गुणों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करने हेतु सत्र आयोजित किया जाए।

(iii) अध्यापकों के माध्यम से स्कूल के छात्र-छात्राओं को मिलेट्स के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए।

(iv) स्कूल कैरीकुलम के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से सरकारी/मान्यता प्राप्त/निजी जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट विद्यालयों के न्यूनतम 200 अध्यापकों को चयनित करके उन्हे मिलेट्स के पोषक तत्वों, मिलेट्स के विभिन्न प्रकारों तथा उसके उपभोग आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

(v) स्कूलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु स्कूलों में मिलेट्स पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं तथा मिलेट्स पहचानना, मिलेट्स के पोषक तत्व, निबंध लेखन, क्विज, प्रोजेक्ट वर्क आदि का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vi) जनपद स्तर पर मिलेट्स के विकास हेतु हो रहे विभिन्न मेलों/कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय के बच्चों को अवश्य भ्रमण करवाया जाए।

6. इन समस्त गतिविधियों हेतु बजट उप कृषि निदेशक के निवर्तन पर रखा जाएगा, परंतु व्यय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के अनुमोदन के पश्चात होगा। समिति की संरचना निम्नवत होगी-

(i)	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
(iii)	उप कृषि निदेशक	-	सचिव
(iv)	बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य
(v)	जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
(vi)	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अगर तैनात हो	-	सदस्य
(vii)	जिला उद्यान अधिकारी	-	सदस्य
(viii)	जिला कृषि अधिकारी	-	सदस्य
(ix)	मिलेट्स के कार्यक्रम में एफ0पी0ओ0 तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रगतिशील कृषक	-	सदस्य

उक्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:60/2023/1011(1)/2451528/2023/12-2099/177/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यक्रम हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।